



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनाँक 12.03.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 64/2026 धारा
103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.26 को थाना दोघट पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.प्रिंस पुत्र देवेन्द्र 2.रजत पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली द्वारा अभियुक्तों 3.सुनिता पत्नी देवेन्द्र 4.लोकेन्द्र पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली के कहने पर वादिया के पति विककी



उर्फ विवेक की गोली मारकर हत्या कर दी व वादिया व अन्य परिजनों के ऊपर गोली चलाते हुए वहाँ से भाग गए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

यशवीर उर्फ रजत पुत्र जितेन्द्र मलिक निवासी ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री केवल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-व0उ0नि0 श्री दिनेशपाल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5-है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 12.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 759/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मो0सा0 स्प्लेण्डर नं0 UP-17U-8376 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.12.2025

को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री प्रदीप पुत्र श्री ओंकार सिंह निवासी नेहरू रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि मा0 न्यायालय परिसर से उसकी मो0सा0 स्प्लेण्डर नं0 UP-17U-8376 चोरी हो गई है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0



759/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 759/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मो०सा० स्प्लेण्डर नं० UP-17U-8376 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आस मौहम्मद पुत्र नियाजू निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 01 मो०सा० स्प्लेण्डर नं० UP-17U-8376

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-म०उ०नि० मोना शर्मा कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-है०का० 873 हरीश कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-है०का० 816 शौकेन्द्र सिंह कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

- 1-मनोज पुत्र जयभगवान निवासी ग्राम सररपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र जयपाल निवासी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम --

- 1- उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री अंकित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- है0का0 151 सन्दीप दहिया थाना कोतवाली बागपत ।
- 4- है0का0 818 इलियास अहमद थाना कोतवाली बागपत ।
- 5- का0 62 अरीब पठान थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 12.03.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन उर्फ गुड्डू पुत्र सुभाष निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 490 आशीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।